



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड -30, आफिस काम्पलेक्स, (तृतीय तल)

सेक्टर-13, सिकन्दरा योजना, आगरा।

e-mail : eod30@gmail.com

भारतीय मानक नं. IS 15700



पत्र सं-1100 /

E.N.G. -24

/56

दिनांक- 21/08/19

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

अधौहस्ताकरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से बी0ओ0क्यू में लिये गये कार्य के अनुसारपरिषद में पंजीकृत अनुमदी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा, टू-बिड पद्धति में निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-30, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-13, सिकन्दरा योजना, आगरा स्थित कार्यालय मैनिनलिखित विवरण के अनुसार खण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। कार्यों की मात्राएं बी0ओ0क्यू के अनुसार होगी।

ग्रुप	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित कुल लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + समर्त कर सहित (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	परिषद में पंजीकृत श्रेणी शुल्क
1	2	3	4	5	6	
क	विद्यानसभा क्षेत्र जलेसर की तहसील जलेसर जनपद एटा।	600.00	30.00	7500.00 + GST	18 Months	A+
ख	विद्यानसभा क्षेत्र हाथरस की तहसील सासनी जनपद हाथरस।	600.00	30.00	7500.00 + GST	18 Months	A+

निविदा से संबंधित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start Date	07/09/2019 (3:00 PM)
Document Download End Date	16/09/2019 (03:00 PM)
Bid Submission Start Date	07/09/2019 (03:00 PM)
Bid Submission/Closing Date	16/09/2019 (03:00 PM)
Technical Bid Opening Date	18/09/2019 (03:30 PM)
Financial Bid Opening Date	21/09/2019 (01:00 PM)

धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में देय होगी। वाचित धनराशि कार्यालय में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत है :-

Concerning Division Office: Executive Engineer Construction Division -30,  
U.P. Housing & Development Board, Office Complex  
Sector – 13, Sikandra Yojna, Agra.

Accounts Detail for RTGS: Allahabad Bank, Agra  
Branch UPAVP, Sector -4, Agra  
Account No. 21156130649  
IFSC No.ALLA0212300

- ब- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से संबंधित आर0टी0जी0एस0 का यूटी0आर0 नम्बरकी छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना होगा।  
स- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार/फर्म नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा अन्य सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्म द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जायेगी।

सामान्य शर्तें

- 1- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अंतर्गत प्रत्येक सविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबंध गठन के बाद एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जाएगा तथा देयक से नियमानुसार लेवर सेस की कटीती की जाएगी।  
2- निविदाओं की बी0ओ0क्यू में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई कलेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर ले

- क्योंकि बाद में स्थल से संबंधित कोई वलेम मान्य नहीं होगा तथा कार्यस्थल में परिवर्तन होने पर उपरोक्तानुसार निविदादाता को परिवर्तित कार्यस्थल मान्य होगा।
- 3— निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबंध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबंध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
  - 4— निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि (धरोहर धनराशि घटाते हुये) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड -30, आगरा के पक्ष में बंधक हो, जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी।
  - 5— अनुबंध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
  - 6— निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 3 माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित निविदा के साथ ₹0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्ट्राम्प पेपर ₹0 1.00 का रेवेन्यू स्टॉम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
  - 7— निविदादाता/फर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने एवं निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर न होनेपर अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकार अनुबंध गठन के बाद होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
  - 8— निविदादाता/फर्म GST में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। कार्य की लागत में GST सम्भिलित नहीं हैं, तथा तदसमय GST का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जाएगा तथा समय—समय पर शासन द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन किये जाने पर वे निविदादाता को मान्य होंगे।
  - 9— निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस, जी0एस0टी0, रॉयल्टी तथा अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
  - 10— यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित समय परखोली जाएगी।
  - 11— शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरण होने के पश्चात् तीन वर्ष होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कैश के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही अवमुक्त की जाएगी।
  - 12— समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों एवं सम्बन्धित विभाग की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जाएंगे।
  - 13— जी0पी0डब्लू0-9 फर्म अनुबंध का हिस्सा होगा।
  - 14— कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्तर्गत निर्धारित कम्प्युलेटिव प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई वलेम मान्य न होगा।
  - 15— उ0प्र0 शासन के लोक निर्माण अनुमाग -12 के पत्र सं0- 622/23-2012-2 आडिट/08 दी दिनांक 08.06.2012 तथा समविषयक आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय के पत्रांक - 1282/एम-2/दिनांक 02.04.2013 के अन्तर्गत एल-1निविदादाता द्वारा निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित दरों से 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 01 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारन्टी FDR/CDR के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) वित्तीय विड खुलने की तिथि से अधिकतम सात दिनों के अन्दर मुख्यालय के आदेश सं0 4196/दिनांक 14.09.2018 के अनुसार जमा करनी होगी अन्यथा निविदा में संलग्न धरोहर धनराशि को राज्यसात करते हुये निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परफार्मेंस/सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
  - 16— निविदादाता के द्वारा निविदा के अन्तर्गत जो भी प्रपत्र ऑनलाइन प्रेशित किये जायेंगे, उन प्रपत्रों की हार्ड कॉपी, ई-निविदा अपलोड होने की अन्तिम तिथि से अगले एक कार्य दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से खण्ड कार्यालय में जमा कराये जाने होंगे अथवा निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
  - 17— निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जाएगा।
  - 18— सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके संबंध में कोई भी वलेम मान्य न होगा।
  - 19— परियोजना को सम्बन्धित विभाग को हैण्ड ओवर कराने का दायित्व अनुबन्धक का होगा। अनुबन्ध के अन्तिम देयक का मुगातान परियोजना के हैण्डओवर करने के पश्चात् ही किया जायेगा।
  - 20— सर्वांत निविदा मान्य नहीं होगी।

- 20— शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त गिट्टी, सैण्ड ग्रिट/बैलास्ट आदि पर दी गयी रॉयल्टी के मुगतानों के चालान/रवन्ना आदेश की सत्यापित प्रति बीजक के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियमानुसार बीजक से रॉयल्टी की कटौती की जायेगी।
- 21— वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 22— किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद—आगरा होगा।

 21/01/19

(रूपचन्द्र)  
अधिशासी अभियन्ता

दिनांक : 21/01/2019

पृष्ठा: 100 / ENH-24 / 26

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1— मुख्य अभियन्ता (मो) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 2— निदेशक, ग्लोबल कन्सलटेन्सी सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 2— अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम वृत्त/प्रोजेक्ट वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/कानपुर/मुरादाबाद/आगरा/गाजियाबाद।
- 4— संयुक्त निदेशक (परिचमी—प्रथम/द्वितीय, मध्य, पूर्वी), ग्लोबल सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद/आगरा/लखनऊ/वाराणसी।
- 3— अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा सूचना परिषद की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 4— नोटिस बोर्ड।

 21/01/19

अधिशासी अभियन्ता